राजस्थान सरकार

वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांकःप.16(1)वि.मा./2019 जयपुर, दिनांक 04 अप्रैल, 2019

अधिसूचना

भारत निर्वाचन आयोग, का प्रेस नोट दिनांक 10.03.2019, तथा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर की अ.शा. टीप कमांक प.8(2)(30)निर्वा/2017/3130 दिनांक 28.03.2019 के द्वारा लोकसभा के आम चुनाव दो चरणों में क्रमशः दिनांक 29.04.2019 (सोमवार) एवं 06.05.2019 (सोमवार) को होना अधिसूचित किया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि 1.– प्रथम चरण मतदान के लिए दिनांक 29.04.2019 (सोमवार) को टोंक–सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, भीलवाड़ा, कोटा एवं झालावाड़–बारां लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित है जहाँ मतदान दिनांक 29.04.2019 (सोमवार) को होगा) से सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में तथा 2. द्वितीय चरण मतदान के लिए दिनांक 06.05.2019 (सोमवार) को गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली–धौलपुर, दौसा एवं नागौर जहाँ मतदान दिनांक 06.05.2019 को होगा, से सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों (संलग्न सूची) में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत मतदान दिवस को अवकाश रहेगा, ताकि उक्त तिथियों को मतदाता अपने मताधिकार (वोट) का उपयोग कर सकें।

राज्यपाल की आज्ञा से

(शरद मेहरा)
निदेशक (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1.मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2.सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3 सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
4.प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5.प्रमुख शासन सचिव, मुख्य मंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6.सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7.प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
8.समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव।
9. संभागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा एवं भरतपुर, राजस्थान।
10.सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
11 समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
12निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर (पांच प्रतियों सहित)।

13.अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु।

14.मुख्य चुनाव अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।

15समस्त कोषाधिकारी उप कोषाधिकारी राजस्थान।

16.उप महाप्रबन्धक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आनन्द भवन, जयपुर।

17.महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, कार्यालय तिलक मार्ग, जयपुर।

18 महाप्रबंधक एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान, चौथा तल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।

19वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डल कार्यालय, जीवन प्रकाश, अजमेर।

20.वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मण्डल कार्यालय, नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।

21.मण्डल प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम,मण्डल कार्यालय, भवानी सिंह मार्ग, जीवन प्रकाश, जयपुर।

22.मैनेजर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई, नागपुर, दिल्ली, जयपुर।

23. निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यरत समस्त बैंक।

24.राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, 3 – नेहरू पैलेस, टोंक रोड़, जयपुर।

25.मुम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मुम्बई।

26 मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं. लि. क्षेत्रीय कार्यालय तीसरी मंजिल, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर–302001

27.सचिव, बैंक मैनेजर्स एसोसियेशन, द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, टोंक रोड़, जयपुर।

28.तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सैल, वित्त विभाग, जयपुर।

29.अवैतनिक मन्त्री, जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, कार्नर गोपालजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर.।, जयपुर।

30.अवैतनिक मन्त्री, इण्डिया वर्कर्स एसोसियेशन द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, आनन्द भवन दूसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड़, जयपुर।

31.अवैतनिक मन्त्री राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जयपुर।

32.मन्त्री, को–ऑपरेटिव बैंक कर्मचारी संगठन , कोटा।

(श्रीकृष्ण शर्मा)
उप शासन सचिव

D:\S.K.Samad Fakteri\General\Election Loose 2017.doc

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांकः 03.04.2019

–: आदेश :–

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव घोषणा के तहत राजस्थान राज्य के लोकसभा आम चुनाव, 2019 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जिसके अनुसार राज्य में मतदान दो चरणों (फेज–4 के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों **व** फेज–5 के 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों) में क्रमशः **दिनांक 29.04.2019 एवं 06.05.2019** को मतदान होने के कारण फेजवाईज़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों (सूची संलग्न) में मतदान दिवस का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी **(जिला कलक्टर्स)** को अधिकृत किया जाता है।

पुनर्मतदान की स्थिति में जहाँ पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी **(जिला कलक्टर्स) को अधिकृत किया जाता है।**

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(चन्दा लाल मीना)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 28.03.2019 के क्रम में।
9. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. समस्त जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) राजस्थान।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
13. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
18. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

D:\B.S.\Jeevan\ Folder\General\Election Leave 2017.Doc

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांकः 10.04.2019

–: आदेश :–

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव, 2019 के मतदान करने हेतु ऐसे कार्मिक जो अन्य राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है, मतदाता के रूप में पंजीकृत है, तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत है। ऐसे कार्मिकों को मतदान दिवस के अवसर पर उनके द्वारा (ऐसे मतदाता द्वारा) आवेदन करने पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर्स) को प्राधिकृत किया जाता है।

पुनर्मतदान की स्थिति में जहॉ पुनर्मतदान होगा, उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी **(जिला कलक्टर्स) को अधिकृत किया जाता है।**

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(चन्दा लाल मीना)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 03.04.2019 के क्रम में।
9. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. समस्त जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) राजस्थान।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
13. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
18. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

कमांकः एफ.14(13)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015 पार्ट–I 9499 जयपुर, दिनांकः– 4/4/19

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य में लोकसभा आम चुनाव, 2019 की घोषणा कर राज्य में मतदान दो चरणों (फेज–4 व फेज–5) में क्रमशः दिनांक 29.04.2019 एवम् दिनांक 06.05.2019 को मतदान की तिथि निश्चित की गयी है (कार्यक्रम की प्रति संलग्न है)।

भारत सरकार के संशोधन अधिनियम संख्या 21/96 द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की नयी धारा 135 "ख" स्थापित कर, मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश की मंजूरी की व्यवस्था की है, धारा–135 "ख" निम्न प्रकार उद्धृत किया जाता है। :–

135 'ख' मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश की मंजूरी–

(1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपकम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिये वह मजदूरी संदत्त की जावेगी, जो इस दिन उसे अवकाश मंजूर न किये जाने की दशा में दी गई होती है।

(3) यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचन को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।

अतः राज्य सरकार राज्य में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार/व्यवसाय के नियोजकों को मतदान कार्यक्रमानुसार उनके संस्थान में नियोजित/कार्यरत प्रत्येक कामगार को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं, राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन दिनांक 29.04.2019 एवम् दिनांक 06.05.2019 को सवैतनिक अवकाश हेतु विनिर्दिष्ट करती है, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही ऐसे कार्मिक जो राज्य में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, परन्तु उन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत हैं, उन्हें भी अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु मतदान दिवस दिनांक 29.04.2019 एवम् दिनांक 06.05.2019 का सवैतनिक अवकाश देय होगा।

(नवीन जैन)
श्रम आयुक्त
राजस्थान, जयपुर।

कमांकः एफ.14(13)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015 पार्ट–I 9500–67 जयपुर, दिनांकः– 4/4/19

<u>प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–</u>

1– अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर की अ0शा0 टीप क्रमांक पं.8(2)(30)निर्वा./2017/3129 दिनांक 28.03.2019 के कम में ।

2– निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान।

3– संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर।

4– निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर।

5– जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) समस्त।

6– सम्भागीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त)........................ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे क्षेत्र के संबंधित संस्थानों के नियोजकों को तथा श्रमिकों के संगठनों को प्रेस विज्ञप्ति आदि साधनों के माध्यम से अवगत कराते हुए नियोजकों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता हैं।

7– गार्ड पत्रावली।

अति0 श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।

LOK SABHA GENERAL ELECTION 2019

(13)

List of Parliamentary Constituencies in Phase-4 with Name of District

Date of Poll- 29.04.2019

No. & Name of Parliamentary Constituency	No. & Name of Assembly Constituency		Name of District
1	2		3
12- TONK-SAWAI MADHOPUR	90	GANGAPUR	SawaiMadhopur
	91	BAMANWAS (ST)	
	92	SAWAI MADHOPUR	
	93	KHANDAR (SC)	
	94	MALPURA	Tonk
	95	NIWAI (SC)	
	96	TONK	
	97	DEOLI-UNIARA	
13- AJMER	45	DUDU (SC)	Jaipur
	98	KISHANGARH	Ajmer
	99	PUSHKAR	
	100	AJMER NORTH	
	101	AJMER SOUTH (SC)	
	102	NASIRABAD	
	104	MASUDA	
	105	KEKRI	
15- PALI	117	SOJAT (SC)	Pali
	118	PALI	
	119	MARWAR JUNCITON	
	120	BALI	
	121	SUMERPUR	
	125	OSIAN	Jodhpur
	126	BHOPALGARH (SC)	
	131	BILARA (SC)	
16- JODHPUR	122	PHALODI	Jodhpur
	123	LOHAWAT	
	124	SHERGARH	
	127	SARDARPURA	
	128	JODHPUR	
	129	SOORSAGAR	
	130	LUNI	
	133	POKARAN	Jaisalmer

(14)

17- BARMER	132	JAISALMER	Jaisalmer
	134	SHEO	Barmer
	135	BARMER	
	136	BAYTOO	
	137	PACHPADRA	
	138	SIWANA	
	139	GUDAMALANI	
	140	CHOHTAN (SC)	
18- JALORE	141	AHORE	Jalore
	142	JALORE (SC)	
	143	BHINMAL	
	144	SANCHORE	
	145	RANIWARA	
	146	SIROHI	Sirohi
	147	PINDWARA ABU (ST)	
	148	REODAR (SC)	
19- UDAIPUR (ST)	149	GOGUNDA (ST)	Udaipur
	150	JHADOL (ST)	
	151	KHERWARA (ST)	
	152	UDAIPUR RURAL (ST)	
	153	UDAIPUR	
	156	SALUMBER (ST)	
	157	DHARIAWAD (ST)	Pratapgarh
	159	ASPUR (ST)	Dungarpur
20- BANSWARA (ST)	158	DUNGARPUR (ST)	Dungarpur
	160	SAGWARA (ST)	
	161	CHORASI (ST)	
	162	GHATOL (ST)	Banswara
	163	GARHI (ST)	
	164	BANSWARA (ST)	
	165	BAGIDORA (ST)	
	166	KUSHALGARH (ST)	
21- CHITTORGARH	154	MAVLI	Udaipur
	155	VALLABHNAGAR	
	167	KAPASAN (SC)	Chittorgarh
	168	BEGUN	
	169	CHITTORGARH	
	170	NIMBAHERA	
	171	BARI SADRI	
	172	PRATAPGARH (ST)	Pratapgarh

22- RAJSAMAND	103	BEAWAR	Ajmer
	111	MERTA (SC)	Nagaur
	112	DEGANA	
	116	JAITARAN	Pali
	173	BHIM	Rajsamand
	174	KUMBHALGARH	
	175	RAJSAMAND	
	176	NATHDWARA	
23- BHILWARA	177	ASIND	Bhilwara
	178	MANDAL	
	179	SAHARA	
	180	BHILWARA	
	181	SHAHPURA (SC)	
	182	JAHAZPUR	
	183	MANDALGARH	
	184	HINDOLI	Bundi
24- KOTA	185	KESHORAIPATAN (SC)	Bundi
	186	BUNDI	
	187	PIPALDA	Kota
	188	SANGOD	
	189	KOTA NORTH	
	190	KOTA SOUTH	
	191	LADPURA	
	192	RAMGANJ MANDI (SC)	
25- JHALAWAR-BARAN	193	ANTA	Baran
	194	KISHANGANJ (ST)	
	195	BARAN-ATRU (SC)	
	196	CHHABRA	
	197	DAG (SC)	Jhalawar
	198	JHALRAPATAN	
	199	KHANPUR	
	200	MANOHAR THANA	

LOK SABHA GENERAL ELECTION 2019

List of Parliamentary Constituencies in Phase-5 with Name of District
Date of Poll- 06.05.2019

No. & Name of Parliamentary Constituency	No. & Name of Assembly Constituency		Name of District
1	2		3
1- GANGANAGAR (SC)	1	SADULSHAHAR	Ganganagar
	2	GANGANAGAR	
	3	KARANPUR	
	4	SURATGARH	
	5	RAISINGHNAGAR (SC)	
	7	SANGARIA	Hanumangarh
	8	HANUMANGARH	
	9	PILIBANGA (SC)	
2- BIKANER (SC)	6	ANUPGARH (SC)	Ganganagar
	12	KHAJUWALA (SC)	Bikaner
	13	BIKANER WEST	
	14	BIKANER EAST	
	15	KOLAYAT	
	16	LUNKARANSAR	
	17	DUNGARGARH	
	18	NOKHA	
3- CHURU	10	NOHAR	Hanumangarh
	11	BHADRA	
	19	SADULPUR	Churu
	20	TARANAGAR	
	21	SARDARSHAHAR	
	22	CHURU	
	23	RATANGARH	
	24	SUJANGARH (SC)	
4- JHUNJHUNU	25	PILANI (SC)	Jhunjhunu
	26	SURAJGARH	
	27	JHUNJHUNU	
	28	MANDAWA	
	29	NAWALGARH	
	30	UDAIPURWATI	
	31	KHETRI	
	32	FATEHPUR	Sikar

(17)

5- SIKAR	33	LACHMANGARH	Sikar
	34	DHOD (SC)	
	35	SIKAR	
	36	DANTARAMGARH	
	37	KHANDELA	
	38	NEEM KA THANA	
	39	SRIMADHOPUR	
	43	CHOMU	Jaipur
6- JAIPUR RURAL	40	KOTPUTLI	Jaipur
	41	VIRATNAGAR	
	42	SHAHPURA	
	44	PHULERA	
	46	JHOTWARA	
	47	AMBER	
	48	JAMWA RAMGARH (ST)	
	63	BANSUR	Alwar
7- JAIPUR	49	HAWAMAHAL	Jaipur
	50	VIDHYADHAR NAGAR	
	51	CIVIL LINES	
	52	KISHANPOLE	
	53	ADARSH NAGAR	
	54	MALVIYA NAGAR	
	55	SANGANER	
	56	BAGRU (SC)	
8- ALWAR	59	TIJARA	Alwar
	60	KISHANGARH BAS	
	61	MUNDAWAR	
	62	BEHROR	
	65	ALWAR RURAL (SC)	
	66	ALWAR URBAN	
	67	RAMGARH	
	68	RAJGARH-LAXMANGARH (ST)	
9- BHARATPUR (SC)	69	KATHUMAR (SC)	Alwar
	70	KAMAN	Bharatpur
	71	NAGAR	
	72	DEEG KUMHER	
	73	BHARATPUR	
	74	NADBAI	
	75	WEIR (SC)	
	76	BAYANA (SC)	

(18)

10- KARAULI DHOLPUR (SC)	77	BASERI (SC)	Dholpur
	78	BARI	
	79	DHOLPUR	
	80	RAJAKHERA	
	81	TODABHIM (ST)	Karauli
	82	HINDAUN (SC)	
	83	KARAULI	
	84	SAPOTRA (ST)	
11- DAUSA (ST)	57	BASSI (ST)	Jaipur
	58	CHAKSU (SC)	
	64	THANAGAZI	Alwar
	85	BANDIKUI	Dausa
	86	MAHUWA	
	87	SIKRAI (SC)	
	88	DAUSA	
	89	LALSOT (ST)	
14- NAGAUR	106	LADNUN	Nagaur
	107	DEEDWANA	
	108	JAYAL (SC)	
	109	NAGAUR	
	110	KHINVSAR	
	113	MAKRANA	
	114	PARBATSAR	
	115	NAWAN	